

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 184/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00263

प्रार्थीगण:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. कानसिंह पुत्र वनेसिंह जाति राजपुत निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन		1. डायाराम पुत्र हिराजी जाति कुम्हार निवासी नरसिंहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन
2. तेजाराम पुत्र कुपाराम जाति मेघवाल निवासी हेमालिया वास कला तहसील मारवाड जंक्शन		2. सुजाराम पुत्र हिराजी जाति कुम्हार निवासी नरसिंहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन
3. मांगीलाल पुत्र ओखाराम जाति मेघवाल निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन		3. सरपंच ग्राम पंचायत हेमालियावास खुर्द तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपुत निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गेहलोत।

:- निर्णय :-

दिनांक : 27.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमालियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 03/12.05.1980 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने क सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई मिसल कायम की गई और न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जैर निगरानी पट्टा कुटरचित तरीके से तैयार किया गया है जिसके विरुद्ध पुलिस थाना में कार्यवाही विचाराधीन है। जैर निगरानी पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर 124 गै.मु.गोचर की भूमि में जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा पुराने कब्जे का कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध, फर्जी तथा कुटरचित होने से काबिल निरस्त योग्य है।

Lu

अति. जिला कलक्टर, पाली



अप्रार्थी संख्या 1 डायाराम पुत्र हिराजी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे तथा मेरे भाई अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी पट्टे की भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं है। मैंने ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया है मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि श्रीमान द्वारा जैर निगरानी स्वीकार फरमायी जाती है तो मुझे प्रार्थी को कोई उजर एतराज नहीं है। साथ ही उक्त पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी मुझे तो केवल पंचायत द्वारा पट्टा जारी करके सुपुर्द कर दिया गया था। अतः उक्त पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 03/12.05.1980 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 के विरुद्ध पेश की है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेश दिनांक 07.01.2004 के द्वारा ग्राम नरसिंहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन में स्थित खसरा नम्बर 124 रकबा 1.4122 हैक्टेयर भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गयी थी तथा ग्राम नरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के अनुसार भी खसरा नम्बर 124 गै.मु.आबादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी को वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा जारी हुआ जबकि खसरा नम्बर 124 की आराजी वर्ष 2004 में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित हुयी थी। यदि आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित ही वर्ष 2004 में होती है तो वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी हो सकता है ? इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा गै.मु.गोचर में जारी किया गया था जो विधि सम्मत नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2021 में स्पष्ट अंकित है कि "उक्त जमीन मौजा नरसिंहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 124 रकबा 1.4122 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर भूमि में आई हुई स्थित है तथा उक्त गोचर भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली द्वारा दिनांक 07.01.2004 को आबादी हेतु आरक्षित की गई है। अतः गोचर भूमि दिनांक 07.01.2004 को आबादी हेतु आरक्षित की गई है तो मिसल संख्या 03/12.05.1980 में अप्रार्थी के पास पट्टा होना नियमानुसार सही नहीं है।" जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने द्वारा दूषित प्रक्रिया अपनाते हुए अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से कायम रखने योग्य नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 डायाराम ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं है तथा उक्त पट्टे की भूमि पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। उक्त पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी मुझे तो केवल पंचायत द्वारा पट्टा जारी करके सुपुर्द कर दिया गया था। अतः उक्त पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा पंचायत नियमों के विरुद्ध अपने अधिकार क्षेत्रों से परे जाकर जारी किया है।

अति. जिला कलक्टर, पाली



उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मिसल संख्या 03/12.05.1980 की पालना में वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 124 गै.मु. गोचर में जारी किया गया था। चूंकि वर्ष 2004 में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली द्वारा ग्राम नरसिंहपुरा के खसरा नम्बर 124 रकबा 1.4122 हैक्टेयर भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया था तो वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी हो सकता है ? साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने शपथ पत्र पेश कर जैर निगरानी पट्टे को विधिवत् नहीं बताया है लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधि विरुद्ध होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 03/12.05.1980 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 डायाराम पुत्र हिराजी व अप्रार्थी संख्या 2 सुजाराम पुत्र हिराजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

Luks

(डॉ राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luks

(डॉ राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली

